राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 744 व 745/2014..... जिला : जयपुर.....
1.मैसर्स मुकेश टेन्ट एण्ड इलेक्ट्रिकल्स,जयपुर बनाम वा.क.अ., वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,जोन–।।,जयपुर
2.मैसर्स मुकेश एक्जीबीशन कम्पनी,जयपुर बनाम वा.क.अ., वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,जोन–।।,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया,सदस्य** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से वक्त सुनवाई श्री पंकज घीया, विद्वान अभिभाषक एवं विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से दोनों अपीले अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 25.04.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये है, के विरूद्ध मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोन–द्वितीय,जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25,55 एवं 19(ए) के अन्तर्गत पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.02.2014 निर्धारण वर्ष 2011–12 के सम्बन्ध में कायम की गयी क्रमशः मांग राशि रू. 39,88,991/– एवं रू 81,96,010/– में से रू. 8,95,626/– एवं 18,41,390/– की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष वसूली योग्य क्रमश : रू. 30,93,365/– एवं रू. 63,54,630/–पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए शेष वसूली योग्य क्रमशः रू. 30,93,365/– एवं रू. 63,54,630/– की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्रों पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य वर्ष 2011–12 की अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.02.2014 को पारित करते हुए मांग इसलिए सृजित की है कि मुक्ति शुल्क विलम्ब से जमा कराया गया है। उनका कथन है कि मुक्ति/कम्पोजीशन भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त नहीं की जा सकती है। उनका यह भी कथन है कि मुक्ति शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अतिरिक्त कर एवं शास्ति आरोपित नहीं किये जा सकते हैं । उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों पर ध्यान दिये वगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं। नियमित कर निर्धारण पारित किये जाने की स्थिति में खरीद पर चुकाये गये आगत कर का समयोजन किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। उन्होंने उक्त आधारों पर शेष वसूली योग्य क्रमशः रू. 30,93,365/– एवं रू. 63,54,630/– की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी ने कम्पोजीशन फीस क्रमशः 56,250/– दिनांक 06.06.2012 एवं रू. 1,16,250/–दिनांक 02.06.2012 को जमा करायी है, जो निर्धारित समयावधि पश्चात जमा करायी गयी है। उनका कथन है कि निर्धारित समयावधि के पश्चाम कम्पोजीशन फीस जमा कराने पर कम्पोजीशन स्कीम की अधिसूचना दिनांक 15.03.2011 के बिन्दु संख्या 5	

में निहित शर्तो की पूर्ति के पश्चात कम्पोजीशन राशि, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क जमा कराने पर ही कम्पोजीशन स्कीम का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। किन्तु डाक घर से "Addressee Moved Refused" रिर्माक के साथ लौटाये जाने के कारण उसकी तमीली मानते हुए मांग सृजित की । उनका कथन है कि उक्त कारणेां को मध्यनजर रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने शेष वसूली योग्य क्रमशः रू. 30,93,365/– एवं रू. 63,54,630/– की वसूली स्थगित नहीं की है,जो उचित है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को उचित बताते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रमशः सृजित मांग राशि रू.39,88,991/– एवं रू 81,96,010/– में से रू. 8,95,626/– एवं 18,41,390/– की वसूली पर रोक लगते हुए शेष वसूली योग्य क्रमश : रू. 30,93,365/– एवं रू. 63,54,630/–पर रोक नही लगायी है। अपीलार्थी की ओर से इस पीठ के समक्ष आगत कर समयोजन सम्बन्धी दावे के विषय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात हस्तगत प्रकरणों में गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरणों में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते है एवं अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

(सुनील शर्मा) 15/05/2014
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
15/5/14